रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 1993/आषाढ़ 30, 1915
No. 249] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 1993/ASADHA 30, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1993

सं. 150/93-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 517(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 72/93-सीमाशुल्क तारीख 28 फरवरी, 1993 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "उक्त पहली अनुसूची के अध्याय 87 के" शब्द और अंक से आरम्भ होने वाले तथा "50 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है", अंक और शब्द पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"किया जाए,—

(क) उक्त पहली अनुसूची के अध्याय 87 के अन्तर्गत आने वाले मोटरयानों के (4000 किलोग्राम से अनधिक भारयोग के हल्के वाणिज्यिक यानों से भिन्न) विनिर्माण के लिये, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना मूल्य के पचास प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है; और

(ख) 4000 किलोग्राम से अनधिक भारयोग के हल्के वाणिज्यिक यानों के विनिर्माण के लिये, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना मूल्य के पच्चीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है ;"

(फा.सं. 332/31/93-टी आर यू)

सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 1993

No. 150|93-CUSTOMS

G.S.R. 517(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 72|93-Customs, dated the 28th February, 1993, namely :—

In the said notification, for the portion beginning with the words, brackets and figures "for the manufacture of motor vehicles" and ending with the words "fifty per cent. ad valorem", the following shall be substituted, namely :—

"(a) for the manufacture of motor vehicles falling within chapter 87 (other than light commercial vehicles of pay-load not exceeding 4000

kilograms) of the said First Schedule, from so much of the duty of Customs which is leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of fifty per cent. ad valorem," and

(b) for the manufacture of light commercial vehicles of pay-load not exceeding 4000 kilograms, from so much of the duty of Customs which is leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of twenty-five per cent. ad valorem,"

[F. No. 332|31|93-TRU]

SUSHIL SOLANKI Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993